अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)
Office of The Executive Engineer, C.D.P.W.D, Haldwani
(Phone/Fax) : 05946-223352 E-Mail- ee_ndhal@rediffmail.com

पत्रांक 1486 / 4C

दिनांक 20/06/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग,
हल्द्वानी।

विषय :– **मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग के निर्माण हेतु 12.33 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण (Online No FP/UK/ROAD/29571/2017) ।**

सन्दर्भ:– **आपका पत्रांक 4779/29–3(3), दिनांक 07.05.022**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में आर0ई0सी0 की बैठक दिनांक 21.09.2022 को जारी किये गये Minutes का निम्नानुसार बिन्दुसार उत्तर प्रेषित किया जा रहा है :–

1	The DFO has mentioned that the area proposed for diversion is 'prone to erosion' therefore, the state Goverenment will provide the structures and detailed budgetary provisions in the project to mitigate the erosion in the area.	प्रस्तावित मार्ग में होने वाले 'Prone to erosion' के बचाव हेतु आवश्यकतानुसार प्रस्तावित डी0पी0आर0 में Structures एवं Budgetary provisions कर लिया जायेगा।
2	The State Government may submit the enumeration list of tree counted in the 7 meter width of the proposed alignment.	भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन मे पूर्व में प्रस्तावित 9 मीटर के स्थान पर वर्तमान में 7 मीटर चौड़ाई के अन्तर्गत ही पेड़ों की गणना की गयी है। जिस कारण प्रभावित होने वाले वृक्षों की सं0 446 है। 9 मीटर के स्थान पर 7 मीटर चौड़ाई में वृक्षों की गणना करने पर 80 वृक्षों की संख्या कम हो गयी है (सूची संलग्न)।
3	The Widening work of NH-84 is going on at preset which should solve the problem of traffic congestion on this route. In such a situation, proposing a bypass after felling 562 trees does not seem to be justified. A proper technical justification of the proposed bypass road is required to be provided with facts.	प्रस्तावित मार्ग घनी आबादी एवं कृषि बाहुल्य क्षेत्र के समीप से गुजरता है, जिसे स्थानीय जनता/कृषकों एवं स्कूली बच्चों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार विगत 40 वर्षों से कच्चे मार्ग के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। स्थानीय कृषकों एवं स्कूली बच्चों द्वारा (एन0एच0–87) का उपयोग में लाया जाना सम्भव नहीं है। क्योंकि स्कूली छात्रों को बस से उतरने एंव चढ़ने हेतु थोड़े–थोड़े अन्तराल में बसों को रूकना होता है, जो सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से राजमार्ग में व्यवहारिक नहीं होगा तथा कृषकों द्वारा अपनी कृषि उपज मण्डी में लाने हेतु बैलगाड़ी/घोडा बुग्गी/रिक्शा आदि का उपयोग किया जाता है। उक्त वाहनों द्वारा राजमार्ग से कृषि उपज लेकर जाना सुरक्षा की दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त क्षेत्र गौला नदी के समीप स्थित है तथा क्षेत्र में थोड़े–थोड़े अन्तराल में स्टोन क्रेशर भी है। इस क्षेत्र से खनिज उपज लाने एवं ले जाने हेतु प्रतिदिन लगभग 500 से 700 वाहनों का आवागमन होता है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तावित मार्ग आवश्यक है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से राजमार्ग में प्रवेश करने व निकास करने वाले वाहनों की संख्या में भारी कमी आयेगी, जिससे Road Safety बढ़ेगी।

अतः प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार

20/6/22
(अशोक कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी

E//: SURESH_LETTER _VIKKY PAGE-6

प्रपत्र

<u>परियोजना का नाम:–</u> मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा सं0 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग निर्माण हेतु 12.33 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण (On line No FP/UK/ROAD/2951/2017) ।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/105/2020 /एफ0सी0/626, दिनांक 02.08.2021 के द्वारा बिन्दु सं0 3 में परियोजना स्थल पर वर्तमान में स्थित प्रवाहित होने वाले वृक्षों की गणना 7 मीटर में किये जाने के सम्बन्धी अनुपालन आख्या :–

<u>वृक्षों की सूची (प्रवाहित होने वाले)</u>

क्र0 सं0	वृक्ष की प्रजाति	0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70 से ऊपर	योग
1	कन्जू	09	09	12	23	08	02	02	04	69
2	नीम		05	09	07					21
3	सागौन	08	06	26	26	02		01		69
4	कचनार			01						1
5	पेपर मलवरी		07	10	09	01	01		01	29
6	सेमल			01	09	06	16		15	47
7	बकैन			04						4
8	कटहल			01	01					2
9	शीशम	15	15	32	25	03	03		01	94
10	आम		05	06						11
11	शहतूत		03		02					5
12	जामुन			01						1
13	बेर			01						1
14	हल्दू				02		03		02	7
15	बेल		11							11
16	खैर	01		03						4
17	अमलतास	03			01					4
18	कोकाट	25	05		04	01				35
19	धौड़ी			01						1
20	तिमल			01						1
	योग	61	66	109	109	21	25	3	23	417

वृक्ष की प्रजाति	0–5	5–10	10–15	15–20	20–25	25–30	30–35	35–40	40–45	45 से ऊपर	योग
यूकेलिप्टस	12	09	0	0	0	0	02	0	02	04	29
योग	12	09	0	0	0	0	02	0	02	04	29

महायोग 417 + 29 = 446

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(गौला)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

वन क्षेत्राधिकारी
गौला वन क्षेत्र,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी